कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक–: पीएमजीएसवाई/2019–20/डी– 4326 दिनांकः 24/04/19

परिपत्र 03/2019-20

विषयः–14 वी विधानसभा की जन लेखा समिति वर्ष 2018–19 के 265 वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्य-2 के क्रियान्वयन बाबत्।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत निर्मित सडको पर चलने वाले भारी खनिज वाहनो/अन्य भारी वाणिज्यक वाहनों के कारण सडको के समय पूर्व खराब होने की समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण सडकों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किये (मई 2011), जिसमे प्रावधान है कि उच्च दबाव वाली सडकों के रख–रखाव के अभाव में या प्रस्तावित सडक के कम दूरी की सडक होने की वजह से संभावित डायर्वजन की सूचना प्राप्त कर प्रस्तावित सडक/संपर्क सडक का स्थान और उच्च दबाव सडकों से इसकी सम्बंधता समुचित रूप से पता की जानी चाहिए।

यदि सडक उन्नयन के लिए ली गई तो तीन लगातार दिनों तक चलने वाले सामान्य यातायात (दो कार्य दिवस और एक सप्ताहंत जैसाकि यातायात सूचकांक गणना विश्लेषण के लिए निर्धारित किया गया है) की सूचना, वाहनों का वर्गीकरण, वर्गीकृत वाणिज्यिक वाहनों की लदान और बिना लदान स्थिति, अतिभांर का स्तर इत्यादि यदि कोई हो सहित संग्रहित की जानी चाहिए।

खदान क्षेत्रों में अतिभार का अधिस्तर डिजाईन में शामिल किया जाना चाहिए।

आधार वर्ष में संभावित यातायात की गणना करते हुए इसे डिजाईन लाईफ अवधि के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। संभावित अतिरिक्त खदान यातायात को भी शामिल किया जाना चाहिए।

चयनित सडक के स्थान के कारण यातायात के संभावित डायवर्जन के अनुमान को ध्यान रखना आवश्यक है।

सडक का डिजाईन आवश्यकतानुसार तथा यह सुनिश्चित करने के बाद कि डिजाईन संभावित भारी वाहनों के परिचालन के लिए टिकाउ है, किया गया है। डिजाईन सडक की सामान्य यातायात और खदान, उद्योगों इत्यादि में प्रयुक्त भारी वाहनों के यातायात सहित कार्य की मात्रा के आधार पर लागत का अनुमान किया जावेगा।

अतः 14 वी विधानसभा की जन लेखा समिति वर्ष 2018–19 के 265 वें प्रतिवेदन (सीएजी प्रतिवेदन 2015–16 आर्थिक क्षेत्र अनुच्छेद संख्या 3.5) की सिफारिश संख्या 2 (प्रतिलिपि संलग्न) का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तुलानात्मक कम दूरी की सडको पर अवश्यम्भावी ट्रेफ्रिक वृद्वि औद्यौगिक क्षेत्र आदि के कारण बढने वाले ट्रेफ्रिक का सही आकंलन डीपीआर तैयार करते समय सुनिश्चित करावें। इसके लिए ट्रेफ्रिक सर्वे का कार्य एवं क्षेत्र की औद्यौगिक गतिविधी का पूर्ण अध्ययन किया जावे एवं तदानुसार ही भविष्य में ट्रेफ्रिक का निर्धारण कर डी.पी.आर. तैयार की जावे।

उपरोक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावे। 24/4/19

(सुनील कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता, (पीएमजीएसवाई)

क्रमांक–: पीएमजीएसवाई/2019–20/डी– दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग – .....(समस्त)

2.अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त – .....(समस्त)

3.अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड – .....(समस्त)

24/4/19

मुख्य अभियन्ता, (पीएमजीएसवाई)